

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082020-221253 CG-DL-E-20082020-221253

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] No. 411] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/श्रावण 29, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SHRAVANA 29, 1942

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाश्ल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 20 अगस्त. 2020

## सं. 62/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 517(अ).—केंद्रीय सरकार, माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 8 में, उपनियम 4(क) के स्थान पर, 01 अप्रैल, 2020 से, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" (4क) जहां कोई आवेदक, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन करता है तो, उपनियम (4) के अंतर्गत आवेदन को भरते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, उसकी आधार संख्या का अभिप्रमाणन किया जायेगा और उन मामलों में आवेदन को भरे जाने की तारीख, वह तारीख मानी जायेगी, जो उसकी आधार संख्या की अभिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन के भरे जाने से पंद्रह दिन बाद की तारीख, दोनों में से जो भी पूर्वत्तर होगी।"

3819 GI/2020 (1)

- 3. उक्त नियम में, नियम 9 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी
- (i) उपनियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार उसके कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के बाद, किया जायेगा:

परंतु यह और कि उचित अधिकारी, संबंधित कारणों को लिखित रूप से लेखबद्ध करते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद की संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों को सत्यापन कर सकता है जिसे वह ठीक समझे";

(ii) उपनियम (2) में स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प को चयन नहीं करता है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में नोटिस, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अविध के भीतर जारी किया जा सकेगा।";

- (iii) उपनियम (4) में, शब्द "देगा" के स्थान पर शब्द "सकेगा" और शब्द "करेगा" के स्थान पर शब्द "कर सकेगा" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iv) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
  - "(5) यदि उचित अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने से चूक जाता है
    - (क) ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या का अभिप्रमाणन सफलता पूर्वक हो जाता है या वह धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित है आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन कार्य-दिवस के भीतर; या
    - (ख) ऐसे मामले में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर
    - (ग) ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे व्यक्ति ने आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अविध के भीतर; या
    - (घ) उपनियम (2) के अंतर्गत, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर,

तो रजिस्ट्रीकरण के लिए किये गये आवेदनके बारें में यह माना जायेगा कि उसे अनुमोदित कर दिया गया है।" 4. उक्त नियमों में, नियम 25 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, "असफल होने के कारण" शब्दों के पश्चात "या आधार के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन न किये जाने के कारण" शब्दों अतःस्थापित किया जाएगा।

> [फा. सं. सीबीईसी-20/06/16/2018-जीएसटी (पार्ट-II)] प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.िन. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना संख्या 60/2020-केंद्रीय कर, तारीख 30 जुलाई, 2020 द्वारा संख्या सा.का.िन. 480(अ) तारीख 30 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

3

#### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

## (CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2020

## No. 62/2020-Central Tax

- **G.S.R. 517(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
- 1. **Short Title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2020.
  - (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted with effect from 01<sup>st</sup> April, 2020, namely: -
  - "(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), with effect from 21<sup>st</sup> August, 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in **Part B** of **FORM GST REG-01** under sub-rule (4), whichever is earlier."
- 3. In the said rules, in rule 9, with effect from 21<sup>st</sup> August, 2020,-
  - (i) in sub-rule (1), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25:

Provided further that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint Commissioner, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit.";

- (ii) in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -
  - "Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in **FORM GST REG-03** may be issued not later than twenty one days from the date of submission of the application.":
- (iii) in sub-rule (4), for the word, "shall", the word "may" shall be substituted;
- (iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
  - "(5) If the proper officer fails to take any action, -
    - (a) within a period of three working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or is notified under sub-section (6D) of section 25; or
    - (b) within the time period prescribed under the proviso to sub-rule (2), in cases where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8; or

- (c) within a period of twenty one days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of Aadhaar number; or
- (d) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under subrule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.".

4. In the said rules, in rule 25, with effect from 21<sup>st</sup> August, 2020, after the words "failure of Aadhaar authentication", the words "or due to not opting for Aadhaar authentication" shall be inserted.

[F. No. CBEC-20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 60/2020-Central Tax, dated the 30th July, 2020, published *vide* number G.S.R. 480(E), dated the 30th July, 2020.